भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-207

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

सरकारी विद्यालयों को समय पर निधियां जारी करना

†*207. **श्री के. राधाकृष्णनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालय बंद किए गए हैं और इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केरल सहित सभी राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली लंबित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों को और अधिक संख्या में बंद होने से रोकने के लिए समय पर निधियां जारी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'सरकारी विद्यालयों को समय पर निधियां जारी करना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री के. राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 207 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना और युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। यूडाइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस)के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति, उपयोग प्रमाण-पत्रों पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टों, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, राज्य अंशदानों और योजना मानदंडों के अनुपालन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रावधानों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्से और वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा के तहत जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा और वर्ष 2025- 26 (आज की तारीख तक) के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

*****